CNR No. UPBU01-003254-2026 J.O. Code No. UP 6142

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), बुलन्दशहर।

दाण्डिक मिस्लेनियस संख्या–161 सन 2026

राज्य बनाम तूबा खान।

धारा–22(1) पॉक्सो अधिनियम
थाना–अनूपशहर, जिला–बुलन्दशहर।

दिनाँक–14.03.2026 (राष्ट्रीय लोक अदालत दिन द्वितीय शनिवार)

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्ता तूबा खान की ओर से उक्त अपराध में जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र 6बी प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्ता तूबा खान के विरूद्ध विशेष वाद संख्या–2853/2023, मुकदमा अपराध संख्या–424/2023 अन्तर्गत धारा 376,384,506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5आई/6 पोक्सो एक्ट, थाना–सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर में मिथ्या साक्ष्य दिये जाने के आधार पर यह मामला संस्थित किया गया था।

प्रार्थी/अभियुक्ता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किया है। मामलें के समस्त तथ्य, परिस्थितियों व स्वेच्छया की गई जुर्म स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में उसे निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

अभियुक्ता तूबा खान को धारा 22(1) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत संस्वीकृति के आधार पर दोषी करार देते हुए अंकन–500/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्ता 10 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाए।

(ओम प्रकाश वर्मा–III)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)
बुलन्दशहर।

Digitally signed by OMPRAKASH VERMA
Date: 2026.03.14 12:39:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court